न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-72/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

मंगल उराँव बनाम मोहिनी मुण्डा

26.11.2020

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	मंगल उराँव पिता–स्व० लखीराम उराँव, ग्राम–उराँव टोली, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–उराँव, पेशा–खेती।
क्रेता का नाम एवं पता –	मोहिनी मुण्डा पति–स्व० कारू मुण्डा, ग्राम–ताऊ, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री गिरेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–06/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता मोहिनी मुण्डा पति–स्व० कारू मुण्डा, ग्राम–ताऊ, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/28	772	4757	04 डी० चौहद्दी:– उ०–प्रस्तावित रास्ता। द०–परेश पातर। पू०–एन०एच–33। प०–आर०एस० प्लॉट नं० 4755।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक–652 दिनांक–17/11/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत पुरन अहीर वगैरह के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता स्वयं पंजी–II रैयत है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम मंगल उराँव है। तथा रैयत के पास प्रस्तावित खाता में रकबा–0.89 डी० भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2012–13 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास प्रस्तावित खाता में रकबा–0.85 डी० भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को इलाज हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो आदिवासी समुदाय के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना बुन्डू जिला राँची के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता मंगल उराँव पिता–स्व० लखीराम उराँव, ग्राम–उराँव टोली, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–उराँव, पेशा–खेती, को क्रेता मोहिनी मुण्डा पति–स्व० कारू मुण्डा, ग्राम–ताऊ, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–06/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता मंगल उराँव पिता–स्व० लखीराम उराँव, ग्राम–उराँव टोली, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–उराँव, पेशा–खेती, को क्रेता मोहिनी मुण्डा पति–स्व० कारू मुण्डा, ग्राम–ताऊ, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण				
मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू / 28	772	4757	04 डी० चौहद्दीः— उ०—प्रस्तावित रास्ता। द०—परेश पातर। पू०—एन०एच—33। प०—आर०एस० प्लॉट नं० 4755।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/-

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

ह०/-

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।